जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/palm/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 11 मार्च 2024

जयपुर पुलिस कमिश्नर की सख्ती का दिखा असर!!
रात 12 बजे बाद नाइट क्लबों के संचालन पर लगाई थी रोक!!
पाँच बत्ती के नजदीक चलने वाले
स्विंटन हाउस क्लब पर हुई पहली कार्यवाही!!

ऑपरेशन "अवैध नाईट क्लब"

मौके से 8 लोगों को
आईपीसी की धारा 151 के तहत किया गिरफ्तार!!

जालुपुरा थाना इंचार्ज ममता मीणा की कार्यवाही!!
आगे भी होगी पुलिस कमिश्नर के आदेशों की पालना!!

जयपुर पुलिस कमिश्नर की सख्ती का दिखा असर!!रात 12 बजे बाद नाइट क्लबों के संचालन पर लगाई थी रोक!!पाँच बत्ती के नजदीक चलने वाले स्विंटन हाउस क्लब पर हुई पहली कार्यवाही!!

जैसा कि आपको बताया गया है कि शहर मे संचालित शराब की दुकानों और नाइट क्लबों पर सख्ती करते हुए पिछले दिनों जयपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा शराब की दुकानों को रात 8 बजे और नाइट क्लबों को रात 12 बजे तक बंद करवाने के आदेश जारी किए गए थे|

रात 8 बजे बाद शराब बिकी तो SHO पर कार्रवाई, नाइट क्लब में जाने वालों की रजिस्टर में होगी एंट्री

जयपुर | शहर में संचालित शराब दुकानों पर अगर रात 8 बजे शराब बिक्री हुई तो संबंधित थाने के एसएचओ पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने विभागीय आदेश जारी कर दिए। साथ ही आदेश दिया कि नाइट क्लबों को 12 बजे पूर्ण रूप से बंद करवाएं। इन सभी क्लबों में आने वाले ग्राहकों की प्रवेश से पहले पहचान पत्र चैक करके रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। अन्यथा क्लब संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित एसएचओ सभी क्लब संचालकों को पाबंद करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर ने सभी एसएचओ व एसीपी को आदेश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में थड़ी-ठेले वालों लोगों को तुरंत पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे।

शिकायत पर सख्ती

शहर में जगह देर रात शराब बेचने की सूचनाएं मिल रही थीं। ऐसे में सख्ती से पालना कराई जाएगी। साथ ही शहर में संचालित नाइट क्लबों में छोटे बच्चे और संदिग्ध लोगों की एंट्री की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसलिए सख्ती की जा रही है।

-बीजू जॉर्ज जोसफ,
पुलिस कमिश्नर

इस आदेश का असर अब देखने को मिल रहा है|जयपुर कमिश्नर के इस आदेश को अमलीजामा पहनाते हुए,जयपुर उत्तर के जालुपूरा थाना इलाके मे संचालित स्विंटन हाउस क्लब मे देर रात सवा बारह से साढ़े बारह बजे के बीच स्थानीय पुलिस की टीम द्वारा कार्यवाही की गई|पुलिस की दबिश के दौरान मौके से 8 व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया|

इस मामले मे जालूपुरा थाना इंचार्ज ममता मीणा द्वारा बताया गया कि भविष्य मे भी ऐसी कार्यवाहियों को अंजाम दिया जाता रहेगा और नियमों का उल्लंघन कर चलने वाले नाइट क्लबों पर दबिश दी जाती रहेगी|

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल द्वारा प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|